



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54975

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 8113 वर्ष 2026

नीतू

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: नितिन कुमार, राजेंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र कुमार सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री आनंद प्रताप सिंह की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2. यह जमानत याचिका मामले में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। यह प्रकरण अपराध संख्या 216/2025, धारा 109(1), 333, 115(2), 351(3), 352 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन- कंठ, जिला मुरादाबाद के अंतर्गत मुकदमे की सुनवाई के दौरान दर्ज किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि एफआईआर में, आवेदक और सह-आरोपी जय प्रकाश के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं, लेकिन घायल के बयान में, लोहे की छड़ से चोट पहुँचाने का विशिष्ट आरोप सह-आरोपी जय प्रकाश के विरुद्ध लगाया गया है, और आवेदक को सह-आरोपी जय प्रकाश के साथ होने के अलावा कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदक ने आगे निवेदन किया है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और एक महिला होने के नाते, वह धारा 480 बीएनएसएस के तहत जमानत पर रिहा होने की हकदार है। आवेदक कानून का पालन करने वाली नागरिक है और वह 16.01.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक एक महिला है, साथ ही अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और परीक्षण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



होने, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में दिए गए फैसले (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस राय का हूं कि आवेदक जमानत पर रिहा होने की हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **नीतू** को, न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए: :-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, ईमानदारी से मुकदमे/जांच में सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
- iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बांड स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की संबंधित न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाएगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किया गया है, साथ ही यह वचन भी दिया गया है कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल द्वारा भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हो, जिसमें **जमानत देने की नीति रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 का निर्णय दिनांक 31.01.2023 को दिया गया था और जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ था।**

18 मार्च, 2026

एसए

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”